



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ९, अंक ३९(२)]

शुक्रवार, नोव्हेंबर १०, २०२३/कार्तिक १९, शके १९४५

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, २००३.

क्रमांक मविनिआ/रासस/२०२३/०६०२.- विद्युत अधिनियम, २००३ मधील कलम ८७ आणि ८८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग याद्वारे पुढीलप्रमाणे राज्य सल्लागार समिती पुनर्गठित करित आहे :—

- | | | |
|----|---|-----------------|
| १. | अध्यक्ष, मविनिआ | पदसिद्ध अध्यक्ष |
| २. | सदस्य, मविनिआ (१) | पदसिद्ध सदस्य |
| ३. | सदस्य, मविनिआ (२) | पदसिद्ध सदस्य |
| ४. | सचिव, मविनिआ | सदस्य-सचिव |
| ५. | सचिव,
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन,
मुंबई. | पदसिद्ध सदस्य |
| ६. | प्रधान सचिव (ऊर्जा),
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,
महाराष्ट्र शासन. | पदसिद्ध सदस्य |
| ७. | आयुक्त,
बृहन्मुंबई महानगर पालिका. | सदस्य |

(१)

८.	महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई.	सदस्य
९.	व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित.	सदस्य
१०.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई.	सदस्य
११.	महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण.	सदस्य
१२.	विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र शासन, मुंबई.	सदस्य
१३.	परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.	सदस्य
१४.	आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र शासन, मुंबई.	सदस्य
१५.	कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.	सदस्य
१६.	विभाग प्रमुख (विद्युत), अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे.	सदस्य
१७.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज.	सदस्य

मुंबई,
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३.

डॉ. राजेंद्र गं. आंबेकर,
सचिव,
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग.

MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

ELECTRICITY ACT, 2003.

No. MERC/ SAC/ 2023/0602.— In exercise of the powers conferred by Section 87 and 88 of the Electricity Act, 2003, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby re-constitute the State advisory Committee as follows :—

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Chairperson, MERC | <i>Ex-officio</i> Chairperson |
| 2. | Member, MERC (I) | <i>Ex-officio</i> Member |
| 3. | Member, MERC (II) | <i>Ex-officio</i> Member |
| 4. | Secretary, MERC | Member-Secretary |
| 5. | Secretary,
Food, Civil Supplies and Consumer
Protection Department, Government
of Maharashtra, Mumbai. | <i>Ex-officio</i> Member |
| 6. | Principal Secretary (Energy),
Industries, Energy and Labour
Department, Government of Maharashtra. | <i>Ex-officio</i> Member |
| 7. | Commissioner,
Brihanmumbai Municipal Corporation. | Member |
| 8. | Metropolitan Commissioner,
Mumbai Metropolitan Region
Development Authority, Mumbai. | Member |
| 9. | Managing Director,
City & Industrial Development
Corporation of Maharashtra Ltd. | Member |
| 10. | Chief Executive Officer,
Maharashtra Industrial Development
Corporation, Mumbai. | Member |
| 11. | Director General,
Maharashtra Energy Development Agency. | Member |
| 12. | Development Commissioner,
Industries, Government of Maharashtra,
Mumbai. | Member |
| 13. | Transport Commissioner,
Government of Maharashtra, Mumbai. | Member |
| 14. | Commissioner Agriculture,
Government of Maharashtra, Mumbai. | Member |
| 15. | Commissioner of Labour
Government of Maharashtra, Mumbai. | Member |

- | | | |
|-----|--|--------|
| 16. | Head of Department (Electrical),
College of Engineering Pune. | Member |
| 17. | Chief Executive Officer,
Indian Energy Exchange. | Member |

Mumbai,
Date 10th November, 2023.

DR. RAJENDRA G. AMBEKAR,
Secretary,
Maharashtra Electricity Regulatory Commission.